अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में योजना भवन, लखनऊ में दिनॉक 01 दिसम्बर 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आयोजित नीति कार्यान्वयन इकाई की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति संलग्न है।

नीति कार्यान्वयन इकाई की चतुर्थ बैठक हेतु कार्य–सूची में सम्मिलित बिन्दुओं पर चर्चा के आधार पर निम्नवत् निर्णय लिये गये:–

1 महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति" के अन्तर्गत, इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु प्रस्ताव

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016" के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और नीति के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहनों की मॉग की गई है।

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली को विश्वविद्यालय परिसर में इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु मॉगा गया रु 24.75 लाख का पूॅजीगत अनुदान, शासनादेश में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

विश्वविद्यालय को 5 वर्षों तक परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति, वास्तविक आधार पर (अधिकतम रु 5 लाख वार्षिक), तथा मेन्टर्स की वास्तविक संख्या के आधार पर (विश्वविद्यालय द्वारा सूचित 4 मेन्टर्स हेतु) मानदेय की धनराशि (अधिकतम रू 2 लाख प्रति वर्ष प्रति मेन्टर) प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। यह अनुदान विश्वविद्यालय को इन्क्यूबेटर के परिचालनरत हो जाने तथा इन्क्यूबेटर में स्टार्ट–अप कम्पनियों की स्थापना के उपरान्त ही, शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा 'रेडी टू प्लग एण्ड प्ले' हेतु वार्म शेल स्थान, ब्रेक–आउट एरिया, नेटवर्किंग एरिया, मीटिंग रूम इत्यादि का समग्र एवं स्पष्ट विवरण दर्शाते हुए इन्क्यूबेटर हेतु आरक्षित क्षेत्र के उपयोग का मानचित्र, चरण–वार कियान्वयन योजना/समय–सारणी तथा आवेदनों की स्क्रीनिंग तथा इन्क्यूबेटर में प्रवेश हेतु निर्धारित की गई, स्टार्ट–अप की चयन प्रक्रिया कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को उपलब्ध कराई जायेगी। अनुदानों की धनराशि विश्वविद्यालय के खाते में हस्तान्तरण के लिए संस्थान के बैंक खाते का विवरण यथा : खाताधारक का नाम, खाता नं0, आईएफएससी कोड, बैंक एवं शाखा का नाम तथा एक निरस्त चेक (यूपीएलसी) को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह भी निर्देशित किया गया कि नीति कार्यान्वयन इकाई के कन्सल्टेण्ट्स द्वारा विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेटर/स्टार्ट–अप सम्बन्धित गतिविधियों के निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु शीघ्र ही विश्वविद्यालय का भ्रमण किया जाये।

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा धनराशि की स्वीकृति पर महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली स्थित इन्क्यूबेटर में प्रवेश एवं प्रतिभाग हेतु छात्रों के बीच व्यापक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए मेजबान संस्थान तथा कार्यदायी संस्था द्वारा भविष्य में संयुक्त रूप से विपणन और जागरुकता अभियान चलाये जायेंगे।

2 बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट टेक्नोलॉजी, नॉयडा द्वारा "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति" के अन्तर्गत, इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु प्रस्ताव

उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्ध–सरकारी संस्थानों/एजेन्सीज/संगठनों को नये इन्क्यूबेटर्स की स्थापना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स में क्षमता विस्तार हेतु प्रोत्साहन प्रदान किये जाने का प्राविधान है। बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट टेक्नोलॉजी को इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु नीति आयोग से अटल इन्क्यूबेशन अनुदान के अन्तर्गत रू 5.5 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है।

चर्चा उपरान्त, बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट टेक्नोलॉजी, नॉयडा को "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट–अप नीति–2016" के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु संस्थान को रु 25.00 लाख का पूँजीगत अनुदान, शासनादेश में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

संस्थान को 5 वर्षों तक परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति, वास्तविक आधार पर (अधिकतम रु 5 लाख वार्षिक), तथा मेन्टर्स की वास्तविक संख्या के आधार पर मानदेय की धनराशि (अधिकतम रू 2 लाख प्रति वर्ष प्रति मेन्टर) प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। यह अनुदान संस्थान को इन्क्यूबेटर के परिचालनरत हो जाने तथा इन्क्यूबेटर में स्टार्ट–अप कम्पनियों की स्थापना के उपरान्त ही, शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

संस्थान द्वारा 'रेडी टू प्लग एण्ड प्ले' हेतु वार्म शेल स्थान, ब्रेक–आउट एरिया, नेटवर्किंग एरिया, मीटिंग रूम इत्यादि का समग्र एवं स्पष्ट विवरण दर्शाते हुए इन्क्यूबेटर हेतु आरक्षित क्षेत्र के उपयोग का मानचित्र, चरण–वार कियान्वयन योजना/समय–सारणी तथा आवेदनों की स्क्रीनिंग तथा इन्क्यूबेटर में प्रवेश हेतु निर्धारित की गई, स्टार्ट–अप की चयन प्रक्रिया कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को उपलब्ध कराई जायेगी। अनुदानों की धनराशि संस्थान के खाते में हस्तान्तरण के लिए संस्थान के बैंक खाते का विवरण यथा : खाताधारक का नाम, खाता नं0, आईएफएससी कोड, बैंक एवं शाखा का नाम तथा एक निरस्त चेक (यूपीएलसी) को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह भी निर्देशित किया गया कि नीति कार्यान्वयन इकाई के कन्सल्टेण्ट्स द्वारा संस्थान में इन्क्यूबेटर/स्टार्ट–अप सम्बन्धित गतिविधियों के निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु शीघ्र ही संस्थान का भ्रमण किया जाये।

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा धनराशि की स्वीकृति पर बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट टेक्नोलॉजी, नॉयडा इन्क्यूबेटर में प्रवेश एवं प्रतिभाग हेतु छात्रों के बीच व्यापक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए मेजबान संस्थान तथा कार्यदायी संस्था द्वारा भविष्य में संयुक्त रूप से विपणन और जागरुकता अभियान चलाये जायेंगे।

3 **इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैण्डीकैप, कानपुर का प्रस्ताव**

अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैण्डीकैप, कानपुर द्वारा इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति–2016" के अन्तर्गत अनुमन्य निम्न प्रोत्साहनों की मांग की गई थी:–

सू0प्रौ0 इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट–अप हेतु 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान, अधिकतम रू 25.00 लाख की सीमा सहित	रु 25.00 लाख
5 वर्षों तक, प्रतिवर्ष अधिकतम रु 5 लाख की सीमा सहित, परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति	रु 25.00 लाख
(केवल परिचालन व्ययों से हानि होने की स्थिति में)	
पॉच उपदेशकों हेतु प्रति उपदेशक रु 2.00 लाख वार्षिक मानदेय धनराशि की प्रतिपूर्ति	रु 10.00 लाख

नीति कार्यान्वयन इकाई की दिनॉक 19 मई 2017 को आहूत बैठक में अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैण्डीकैप कानपुर द्वारा "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति" के अन्तर्गत, इन्क्यूबेटर की स्थापना के प्रस्ताव पर सैद्धॉतिक अनुमोदन इस प्रतिबन्ध सहित प्रदान किया गया था कि संस्थान का प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाये।

अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैण्डीकैप कानपुर में इन्क्यूबेटर की स्थापना का प्रस्ताव विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अग्रसारित किया गया है। तद्क्रम में नीति कार्यान्वयन इकाई अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैण्डीकैप कानपुर को इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु सू0प्रौ0 इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट–अप हेतु 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि रू 12,50,000/– अवमुक्त किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई जोकि शासनादेश संख्या 895/78–1– 2016–25/ 2012टीसी–03 दिनॉक 09 अगस्त 2016 में विहित व्यवस्था के अनुरूप प्रदान किये जायेंगे। संस्थान द्वारा 'रेडी टू प्लग एण्ड प्ले' हेतु वार्म शेल स्थान, ब्रेक–आउट एरिया, नेटवर्किंग एरिया, मीटिंग रूम इत्यादि का समग्र एवं स्पष्ट विवरण दर्शाते हुए इन्क्यूबेटर हेतु आरक्षित क्षेत्र के उपयोग का मानचित्र, चरण–वार कियान्वयन योजना/समय–सारणी तथा आवेदनों की स्क्रीनिंग तथा इन्क्यूबेटर में प्रवेश हेतु निर्धारित की गई, स्टार्ट–अप की चयन प्रक्रिया कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को उपलब्ध कराई जायेगी। अनुदानों की धनराशि संस्थान के खाते में हस्तान्तरण के लिए संस्थान के बैंक खाते का विवरण यथा : खाताधारक का नाम, खाता नं0, आईएफएससी कोड, बैंक एवं शाखा का नाम तथा एक निरस्त चेक (यूपीएलसी) को उपलब्ध कराया जायेगा।

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा धनराशि की स्वीकृति पर अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैण्डीकैप कानपुर द्वारा इन्क्यूबेटर में प्रवेश एवं प्रतिभाग हेतु छात्रों के बीच व्यापक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए मेजबान संस्थान तथा कार्यदायी संस्था द्वारा भविष्य में संयुक्त रूप से विपणन और जागरुकता अभियान चलाये जायेंगे।

4 मैसर्स आई.बी. हब्स का परिचालन

(अ) मैसर्स आई.बी. हब्स इन्क्यूबेटर्स का होस्ट संस्थान यूपीडेस्को के स्थान पर यूपीएलसी को नामित किया जाना

प्रकरण में मैसर्स आई.बी. हब्स इन्क्यूबेटर्स का होस्ट संस्थान यूपीडेस्को के स्थान पर यूपीएलसी को नामित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा विचारोपरान्त यूपीडेस्को को होस्ट संस्थान बनाये रखने का अभिमत स्थिर किया गया। निर्देशित किया गया कि आई.बी. हब्स इन्क्यूबेटर के परिचालन और प्रगति के लिए पाक्षिक आधार पर समीक्षा बैठकें की जाये। यूपीएलसी, यूपीडेस्को तथा नीति कार्यान्वयन इकाई के कन्सल्टेण्ट इस समीक्षा बैठक हेतु नामित सदस्य होंगे।

(ब) यूपीडेस्को–आई.बी. हब्स लखनऊ इन्क्यूबेटर हेतु 25 प्रतिशत लीज रेन्टल्स की प्रतिपूर्ति

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 777/78–1–2016–25/2012टीसी–7 दिनांक 01 सितम्बर 2016 में दी गई व्यवस्थानुसार राज्य में स्थापित एवं अन्य आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई. सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक तथा इन्क्यूबेटर्स को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक रू 10.00 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

यूपीडेस्को–आई.बी. हब्स लखनऊ इन्क्यूबेटर जनवरी 2017 में परिचालनरत हो गया है तथा लेवना साइबर हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में किराये के स्थान से परिचालनरत है। यूपीडेस्को–आई.बी. हब्स द्वारा नीति के प्राविधानों के अनुरूप दो त्रैमास की अवधि हेतु लीज/रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत धनराशि (कुल धनराशि रू 3,66,164/–) की प्रतिपूर्ति का अनुरोध किया गया है तथा सम्बन्धित दस्तावेज, सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं।

सम्यक विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि प्रकरण में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के साथ सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से परीक्षण करा लिया जाये। धनराशि का वितरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुमोदन उपरान्त ही किया जाये।

5 आईआईएम–लखनऊ (नॉयडा) परिसर की स्टार्ट–अप्स द्वारा मॉगी गई मासिक भरण–पोषण भत्ते की धनराशि

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1132/78–1–2016–25/2012टीसी–3 दिनांक 19 अगस्त 2016 में दी गई व्यवस्थानुसार स्टार्ट–अप इकाई को रू 15,000/– प्रतिमाह एक वर्ष तक भरण–पोषण भत्ता (Sustenance Allowance) दिये जाने का प्राविधान है। नीति कार्यान्वयन इकाई को आईआईएम–लखनऊ (नॉयडा) परिसर की कुछ स्टार्ट–अप इकाइयों द्वारा भरण–पोषण भत्ता दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गये हैं, जो आईआईएम–लखनऊ (नॉयडा) परिसर द्वारा संस्तुत हैं। भरण–पोषण भत्ते हेतु प्राप्त आवेदन तथा तत्सम्बन्धी विवरण नीति तथा शासनादेश के प्राविधानों के अनुरूप हैं।

भरण–पोषण भत्ते हेतु आवेदन करने वाली आईआईएम–लखनऊ (नॉयडा) परिसर की स्टार्ट–अप इकाइयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

S. No	Name of Start-up	Domain of Start-up	Offering Overview
1	Technybirds Learning Toys Pvt. Ltd.	ICT	Making scientific toys available to parents and students through E commerce
2	Targetplus Education Pvt. Ltd.	ICT	Learning management system for K-12 students aiding them to prepare for examination
3	Constems-AI Systems Pvt. Ltd	Internet of things, e-Commerce	Business Analytics using Machine Language and Computer Vision for Retail Sector
4	Jan Elaaj Healthcare Pvt Ltd	Health IT	Digitized health clinics delivering affordable primary healthcare. It also serves as an aggregation platform, bringing doctors, pathlabs, radiology labs and chemists under one platform
5	RX2RX Labs Pvt Ltd	Health IT	A web and mobile based B2B solution which provides interoperability of medicine data, among various stakeholders such as pharmacies, doctors and patients

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा उक्त स्टार्ट–अप इकाइयों को भरण–पोषण भत्ता अवमुक्त किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

6 यूपी मोबाइल एप्लीकशन में स्टार्ट–अप्स

उत्तर प्रदेश में पूर्ण स्टार्ट–अप ईकोसिस्टम का नेटवर्क बनाये जाने हेतु उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत एक स्टार्ट–अप मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए जाने की आवश्यकता है। यह एप्लीकेशन प्रदेश के नवोदित उद्यमियों को नवीन विचारों को विकसित करने के लिए अत्यन्त आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

यह मोबाइल ऐप स्टार्ट–अप ईकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों जैसेकि इन्क्यूबेटर्स, उद्यमियों/स्टार्ट–अप्स, मेन्टर्स, वी.सी./ए.आई. को जोड़ने का कार्य करेगा। यह ईको–सिस्टम के विभिन्न भागीदारों को नीति के लाभों तथा सुविधाओं से तथा प्रोत्साहनों हेतु आवेदन हेतु भी अवगत करायेगा। यह आयोजित होने वाले संगोष्ठियों तथा आयोजनों के बारे में अवगत करायेगा एवं उनमें पंजीयन का भी विकल्प प्रदान करेगा तथा विभिन्न विषयों पर विचार–गोष्ठी अथवा मेन्टर्स के साथ वेबिनार्स में सम्मिलित होने की सुविधा भी उपलब्ध करायेगा।

चर्चा उपरान्त, प्रस्तावित मोबाइल ऐप बनाये जाने हेतु सॉफ्टवेयर विकासकर्ता के चयन हेतु आर.एफ.पी. प्रकाशित कराये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।

9 फण्ड मैनेजर की नियुक्ति हेतु सिडबी के साथ समझौता–ज्ञापन

अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति–2016 के अन्तर्गत फण्ड मैनेजर की नियुक्ति हेतु सिडबी (SIDBI) के साथ प्रस्तावित समझौता– ज्ञापन का आलेख बनाया गया था तथा समझौता–ज्ञापन का उक्त आलेख सिडबी को उपलब्ध कराया गया था। यूपीएलसी को सिडबी से प्राप्त ई–मेल में, समझौता–ज्ञापन के आलेख में कुछ संशोधन सुझाये गये हैं।

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा, सिडबी द्वारा सुझाये गये संशोधनों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के परामर्श हेतु सन्दर्भित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु प्राप्त आवेदनों के समस्त प्रकरण में महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा इकाई का भ्रमण कर अपनी निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की जाये साथ ही साथ भारत के नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के साथ सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से परीक्षण और अभिलेखों का सत्यापन करा लिया जाये।

10 उत्तर प्रदेश में स्टार्ट–अप्स एवँ सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को प्रेरित करने तथा सू0प्रौ0 क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना का विवरण

प्रदेश के स्टार्ट–अप कार्यक्रम को पुनर्जीवित किये जाने हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई के कन्सल्टेण्ट्स द्वारा कार्य योजना नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत की गई।

कन्सल्टेण्ट्स द्वारा उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकृष्ट करने तथा सू0प्रौ0 इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु भी कार्य योजना प्रस्तुत की गई।

आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर में स्थापित किए जा रहे आईटी पार्क्स की प्रगति की स्थिति भी बैठक में प्रस्तुत की गई।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवँ इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1
सॅख्या।158/78–1–2017/21आई0टी0/2017
लखनऊः दिनॉक दिसम्बर 2017

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन।
4 प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन।
5 अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6 अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ
10 प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रान इण्डिया लि0।
11 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
12 गार्ड फाइल।

Verma 20/12/17

आज्ञा से,

(हरी राम)
अनु सचिव

उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्ट–अप नीति–2016 के अन्तर्गत गठित नीति कार्यान्वयन इकाई(पीआईयू) के संबंध में विचार–विमर्श हेतु अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01–12–2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से आहूत बैठक में उपस्थित अधिकारीगणः–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0/ ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1					
2					
3					
4					
5	नाहर सिंह	प्रभारी-प्रशासन नोडल-Startup	UPdesco	9889132378	[signature]
6	पंकज कुमार	ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर	वाणिज्य कर	9412668472	[signature]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9454412071	[signature]
8	अशोक कुमार	शोध अधिकारी	UPdesco	9451121487	[signature]
9	अरविन्द कुमार	[illegible]	Labour Deptt	9454412639	[signature]
10	अजीज अहमद	अनुसचिव	श्रम विभाग	9454412761	[signature]
11	S. P. Shukla	Dy Labour Commissioner	Labour	9453043030	[signature]

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
12	राजीव मिश्रा	[illegible]	श्रम विभाग	8400702040	[signature]
13	डॉ० [illegible]	O.S.D. Staff V.P	[illegible]	9415466271	[signature]
14	~~[illegible]~~ राकेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक महानिरीक्षक निबंधन	महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०, कार्या०	9415165813	[signature]
15	पुनीत त्रिपाठी	DC (IT) वाणिज्यकर	वाणिज्य कर विभाग	7235001065	[signature]
16	एस० पी० सिंह	संयुक्त सचिव	आई०टी०	9454402408	[signature]
17	आनन्द स्वरुप	वित्त नियंत्रक	सी-ई-जी.	7705901303	[signature]
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					